कक्षाएं संचालित नहीं करने पर दो संस्थानों को नोटिस

देहरादून। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप कक्षाएं संचालित न करने पर दो संस्थानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यूटीयू के कुलपति ने विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बुधवार को वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने विवि से संबद्ध संस्थान लिब्रा कॉलेज ऑफ लॉ, किंगस्टन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बहाइव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और गुरुनानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी का औचक निरीक्षण किया। लिब्रा कॉलेज ऑफ लॉ और बीहाइव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अब तक कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं और छात्र भी कम ही उपस्थित थे। इस पर कुलपति ने नाराजगी व्यक्त की और नोटिस जारी कर दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। चेतावनी देते हुए कहा कि विवि इन छात्रों को अन्य संस्थानों में ट्रांसफर करते हुए डी-ऐफिलेशन की विधिक कार्रवाई कर सकता है। कुलपति ने किंगस्टन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में छात्रों से संवाद किया। प्रिंसिपल डॉ. झूमा सामंता को टाइम टेबल के अनुरूप कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए। वहीं, झाझरा स्थित गुरुनानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कक्षाओं के संचालन पर छात्रों से फीडबैक लिया।

कुलपति ने इन संस्थानों के साथ सभी पाठ्यक्रमों में संबद्ध निजी, राजकीय और विवि के परिसर संस्थानों को भी संदेश देते हुए कहा कि शैक्षणिक वातावरण किसी भी तरह से दूषित नहीं होने दिया जाएगा। शैक्षिक स्तर प्रभावित होता है तो विवि की ओर से संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद